

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,  
देहरादून।

**विषय:-जनपद -टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अनतर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.785 हेतु वन भूमि के निर्माण के सम्बन्ध में।**

**FP/UK/ROAD/30646/2017**

**सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS  
दिनांक 20-07-2018**

**महोदय,**

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 20-07-2018 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरती, उत्तराखण्ड, से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Justification for locating project in forest land is not C/S by DFO.	वन भूमि का औचित्य पूर्ण मांग पत्र भाग-01 के पैरा D (i) में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
2	Employment details seems incorrect.	Employment generation की सूचना को पार्ट I के E में अंकित कर दी गयी है।
3	Date and area is not mentioned in FRA certificate.	वन अधिकारी अधिनियम 2006 में दिनांक एवं क्षेत्रफल अंकित कर प्रमाण-पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी प्रति आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु मय संलग्नकों के साथ प्रेषित की जा रही है।
4	Following documents have not been found uploaded in web portal. I- Muck disposal plan. II-Work not start certificate III-CA site suitability certificate IV-Geologist report and other standard undertaking.	भाग -01 के एडीशनल कॉलम के क्रम संख्या-10,11,12 एवं 13 में मक डिस्पोजल प्लान, कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं भूमि वैज्ञानिक रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है।
5	Area mentioned in CA scheme is 1.785 ha instead of double the area proposed for diversion.	भाग-01 के पैरा L (iv-b) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल 3.57 हेतु संशोधित कर दिया गया है। पूर्व में 1.785 हेतु त्रुटिवश किया गया था।
6	Distance from nearest protected area is not mentioned	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में भाग-01 के एडीशनल कॉलम के क्रम संख्या-14 में प्रस्तावित परियोजना से वन भूमि की दूरी का प्रमाण -पत्र अपलोड कर दिया गया है।

  
 (मनोज चन्द्रन)  
 मुख्य वन संरक्षक